

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना

कोटेशन आमंत्रण सूचना

कोटेशन के आधार पर भू-अर्जन निदेशालय के जॉच पत्रक एवं प्रपत्र से संबंधित बुकलेट के कम्पोजिंग, मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के बिहार गजेटियर्स द्वारा विभाग के भू-अर्जन निदेशालय के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भू-अर्जन से संबंधित प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु विहित जॉच पत्रक एवं प्रपत्र के कम्पोजिंग, बाईडिंग एवं प्रकाशन हेतु निम्नांकित विशिष्टियों, शर्तों एवं उपबंधों के अधीन अनुभवी एवं योग्य मुद्रकों/आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक-01/12/2025 को अपराह्न 5.00 बजे तक विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के नाम से तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन सीलबंद अलग-अलग लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। तकनीकी कोटेशन दिनांक-02/12/2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें कोटेशनदाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

2. तकनीकी शर्त एवं उपबंध :-

- (क) संबंधित प्रेस/फॉर्म/प्रकाशक को भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/2013 अथवा प्रोपराइटरशिप अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861/सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSME/MSEs) तहत पंजीकृत होना चाहिए। कोटेशनदाता को पंजीकरण/निबंधन से संबंधित कागजात संलग्न करना होगा।
- (ख) कोटेशनदाता को स्वयं का उच्च क्षमता का मल्टी कलर युक्त आधुनिक मशीन (Komori Lithrone S44SP Fully automatic Machines or Equivalent), बाईडिंग सिस्टम (Stahl Sewing Machine and 3 side trimmer for precision and accuracy and neatness of book), कभर मशीन (Hard bound cover should be printed on Fully automatic machine or equivalent) अथवा समकक्ष मशीन से सुसज्जित प्रेस होना चाहिए, से संबंधित स्वघोषणा संलग्न करना होगा।
- (ग) कोटेशनदाता का स्वयं का Stitching Machine होना चाहिए।
- (घ) कोटेशनदाता का वार्षिक टर्न ओवर विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कम-से-कम 50 लाख रुपये होना चाहिए।
- (ङ) कोटेशनदाता को आयकर रिटर्न पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की प्रति संलग्न करना होगा।
- (च) कोटेशनदाता को जी.एस.टी से निबंधित होने एवं उसके साक्ष्य के तौर पर कागजात संलग्न करना होगा।
- (छ) कोटेशनदाता का किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो। तत्संबंधित घोषणा पत्र, Notary द्वारा शपथ पत्र के रूप में संलग्न करना होगा।
- (ज) कोटेशनदाता को राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कम-से-कम दो सरकारी/अर्धसरकारी/निगम इत्यादि कार्यालयों में समान प्रकृति/प्रकाशन (परिपत्र संग्रह/वार्षिक प्रतिवेदन) के कार्य का अनुभव होना चाहिए।
- (झ) संबंधित प्रेस/फॉर्म के नाम से पैन कार्ड होना चाहिए।
- (ट) फॉर्म के नाम से निबंधन होना चाहिए।
- (ठ) जमा किये गये सभी कागजात स्व0 अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- (ड) कोटेशन के साथ MSEs के अन्तर्गत निबंधित कोटेशनदाताओं को छोड़कर अन्य कोटेशनदाताओं को Bid Security/Earnest Money Deposit (EMD) के रूप में 20,000/- (बीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के नाम, पटना में भुगतान जमा करना होगा।
- (ढ) कोटेशन प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत L1 के पक्ष में कार्यादेश (Work Order) निर्गत होने के पश्चात् संबंधित एजेंसी द्वारा Performance Bank Guarantee (PBG) के रूप में निविदा मूल्य के 5 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बी0 जी0 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पुरानी सचिवालय, पटना, बिहार-800015 के नाम से जमा करना होगा।
- (ण) प्रकाशन सामग्रियों की संख्या/वर्णित पृष्ठों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। कोटेशनदाता की दर समानुपातिक रूप से संशोधित माना जायेगा।

3. भुगतान की शर्त :-

- (क) 80% राशि का भुगतान निर्धारित संख्या में संबंधित बुकलेट विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात् किया जायेगा।
- (ख) शेष भुगतान राशि 20% का भुगतान संबंधित बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी का विभागीय आई0टी0 मैनेजर द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरांत किया जायेगा।

4. संबंधित बुकलेट की संख्या एवं विशिष्टियाँ निम्न होगी :-

(क) बुकलेट की संख्या- 500 प्रति

(ख) बुकलेट का साईज- 11"x 8.5"

(ख) टेक्स्ट पृष्ठों की कुल संख्या- 40

(ग) Text Paper – 130 GSM Art paper Multi colour printing - अच्छे गुणवत्ता युक्त

(घ) Cover and Back Printing – 300 GSM Art board Multi colour printing and Mat lamination

(ङ.) Binding – Middle Stitching binding

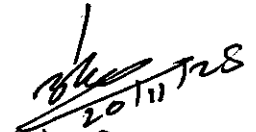
5. वित्तीय कोटेशन का प्रपत्र :-

क्र० सं०	कार्यों का नाम	पृष्ठों की संख्या	GST रहित कुल दर (500 संबंधित बुकलेट) के लिये	GST सहित कुल दर
1	2	3	4	5
1	भू-अर्जन निदेशालय के जाँच पत्रक एवं प्रपत्र के कम्पोजिंग, बाईंडिंग, मुद्रण एवं प्रकाशन	40		
		कुल		

6. विवरण एवं ब्यौरा :- संबंधित बुकलेट के प्रकाशन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन का मूल्यांकन निम्नांकित तिथियों को होगा :-

क	कोटेशन प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक-21/11/2025 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से।
ख	कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक-01/12/2025 को 5:00 बजे अपराह्न, विशेष सचिव के कार्यालय कक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
ग	कोटेशन दस्तावेज खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक-02/12/2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न, VC कक्ष, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

7. प्रकाशित होने वाले जाँच पत्रक एवं प्रपत्र संग्रह का पूर्ण रूप से कवर का कॉन्सेप्ट डिजाईनिंग, टेक्स्ट भाग की कम्पोजिंग (Composing) कोटेशनदाता को करना है।
8. विशिष्टियों के कागज (गुणवत्तापूर्ण) आदि का नमूना, तकनीकी कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।
9. प्रकाशित होने वाले संबंधित बुकलेट को पूर्ण रूप से डिजाईनिंग का प्रारूप प्रति (Dummy Copy) प्रकाशक/मुद्रक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
10. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन कोटेशनदाताओं के द्वारा सुनिश्चित करना होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. तकनीकी रूप से सफल कोटेशनदाता का ही वित्तीय कोटेशन खोला जाएगा।
12. सभी अथवा किसी कोटेशन को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।
13. कार्य आवंटन के आदेश के उपरान्त एक माह (30 दिन) में कार्य पूर्ण कर लेना होगा।
14. सभी कोटेशन विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना-800015 को निर्धारित तिथि और समय तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
15. प्रकाश्य बुकलेट की विशिष्टियाँ, कोटेशन की शर्त, उपबंधों सहित अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/lrc> एवं विभागीय सूचना पट देखा जा सकता है।
16. प्रकाश्य बुकलेट के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी/गजेटियर शाखा से प्राप्त की जा सकती है।


20/11/25

विशेष सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।